



Comp. No.:30622

दिनांक 28.09.2026

F.11-Adm1072(BIHR)/5/2025-Admn-II/1962-81

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 03.10.2025 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 57 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु चिह्नित भूमि का हस्तांतरण एवं उपयुक्त अस्थायी भवन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिपत्य में कर दिया जाएगा। केन्द्रीय विद्यालय पूर्णिया, जिला पूर्णिया, बिहार (संसदीय क्षेत्र - पूर्णिया) अक्टूबर 2025 में स्वीकृत 57 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का हस्तांतरण केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में कर दिया है एवं विद्यालय संचालन हेतु उपयुक्त अस्थाई भवन उपलब्ध होने के उपरांत निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय शैक्षिक सत्र 2027-28 से प्रारंभ करने के लिए संस्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विद्यालय कोड	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय सत्र 2027-28 से संचालित किया जाएगा
2566	केन्द्रीय विद्यालय पूर्णिया, जिला पूर्णिया, बिहार	केन्द्रीय विद्यालय पूर्णिया, शिक्षा कॉलोनी, वार्ड न. 7, निकट आयुक्त कार्यालय, जिला पूर्णिया, बिहार -854301

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय प्रारम्भ में कक्षा बालवाटिका I से III तक, कक्षा I से V तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होगा और इसके पश्चात साध्यता एवं अनुमोदन उपरांत कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, भूमि और अस्थाई भवन के अधिग्रहण से संबन्धित सभी औपचारिकताएँ (यदि लंबित हो तो) पूर्ण होने के बाद शैक्षिक सत्र 2027-28 हेतु निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कर ली जाए।

(दीपेश गहलोत)
अपर आयुक्त (प्रशा.)

वितरण:

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं संयुक्त अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
3. वरिष्ठ पी. पी. एस., सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमैन केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
4. निजी सचिव, सचिव (शिक्षा), स्कूल शिक्षा विभाग, बिहार सरकार।
5. पी.एस.ओ., संयुक्त सचिव (संस्थान एवं प्रशिक्षण) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
6. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
7. सचिव, सी.बी.एस.ई. के निजी सचिव, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली - 92
8. अपर आयुक्त (शैक्षिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन।

9. निदेशक(केंद्रीय विद्यालय संगठन), शिक्षा मंत्रालय, कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली ।
10. संयुक्त आयुक्त (प्रशा./वित्/प्रशिक्षण/कार्मिक), केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को सूचनार्थ ।
11. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) केंद्रीय विद्यालय संगठन को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें ।
12. अधीक्षण अभियंता, केंद्रीय विद्यालय संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
13. जिलाधिकारी तथा अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्धन समिति, केन्द्रीय विद्यालय पूर्णिया, जिला पूर्णिया, बिहार को सूचनार्थ ।
14. उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय पटना को इस अनुरोध के साथ कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क कर के.वि. संचालित करें ।
15. उपायुक्त/निदेशक, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सभी सम्भागीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।
16. सहायक आयुक्त (आई.टी.) को केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।
17. सहायक आयुक्त (स्था. I/ II/ III) केंद्रीय विद्यालय संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
18. सभी अधिकारी/अनुभाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) ।
19. अध्यक्ष/सचिव केंद्रीय विद्यालय संगठन मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ ।
20. गार्ड फाइल ।



Comp. No.:30622

Date: 28.09.2026

F.11-Adm1072(BIHR)/5/2025-Admn-II /1962-81

OFFICE ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan vide office-order of even number dated 03.10.2025, conveyed the approval of Government of India, for establishing 57 new Kendriya Vidyalayas under Civil/Defence Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified demarcated land and also to give possession of the temporary accommodation to Kendriya Vidyalaya Sangathan prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. **Kendriya Vidyalaya Purnea, District Purnea, Bihar in Parliamentary Constituency Purnea** is one of the 57 new Kendriya Vidyalayas sanctioned in October 2025.

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been transferred by the Sponsoring Authority in favour of Kendriya Vidyalaya Sangathan and temporary accommodation has been found suitable, sanction is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with effect from the session 2027-28 at the following location:

KV Code	Name of Kendriya Vidyalaya	Kendriya Vidyalaya will be made functional during Academic Year 2027-28 at:
2566	Kendriya Vidyalaya Purnea, District Purnea, Bihar	Kendriya Vidyalaya Purnea, Shiksha Colony, Ward No. 7, Near Commissioner Office, District Purnea, Bihar - 854301

The above Vidyalaya will start functioning from Balvatika I to III, class I to V (single section in each class) and thereafter will grow consequently based on feasibility as per approval.

The admission process may be completed according to the schedule of admission prescribed for the academic year 2027-28 after completion of all pending formalities of transfer of land and temporary accommodation, if any.

Deepesh

(Deepesh Gehlot)

Additional Commissioner (Admn)

Distribution: -

1. PS to Hon'ble SM-cum-Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
2. PS to Hon'ble MoS (Education) – cum Joint Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
3. Sr. PPS to Secretary (SE&L), MoE-cum-Deputy Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
4. PS to Secretary (Education), Department of School Education, Govt. of Bihar.
5. PSO to Joint Secretary (Institutions & Trg.), MoE-cum-Vice Chairperson, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
6. PS to Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
7. PS to Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92
8. The Additional Commissioner (Acad), Kendriya Vidyalaya Sangathan.
9. The Director (Kendriya Vidyalaya Sangathan), MoE, Kartavya Bhawan-2, New Delhi.
10. The Joint Commissioner (Admn/Finance/Training/Pers), Kendriya Vidyalaya Sangathan.

11. The Joint Commissioner (Acad), Kendriya Vidyalaya Sangathan Hqrs with the request to issue staff sanction order as per rule.
12. The Superintending Engineer, Kendriya Vidyalaya Sangathan – for information and necessary action.
13. The District Magistrate and Chairman VMC, Kendriya Vidyalaya Purnea, District Purnea, Bihar for information.
14. The Deputy Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Patna with the request to liaise with the sponsoring authorities to make the KV functional.
15. The Deputy Commissioner/Director, Kendriya Vidyalaya Sangathan, All Regional Offices/ZIETs.
16. The Assistant Commissioner (IT), Kendriya Vidyalaya Sangathan with a request to upload the order on KVS website.
17. The Assistant Commissioner (Estt.I/ Estt. II/ Estt. III) Kendriya Vidyalaya Sangathan for information & necessary action.
18. All Officers/Sections, Kendriya Vidyalaya Sangathan Hqrs.
19. President/ General Secretary, Kendriya Vidyalaya Sangathan recognized Staff Associations.
20. Guard File.